संख्या – 230 / एक–10–2020–33(3) / 2020

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांकः 18 मई, 2020

विषयः–कोविड–19 के दृष्टिगत लाकडाऊन अवधि में विभिन्न प्रयोजनों हेतु उपलब्ध करायी गयी उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के भुगतान विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–206 / एक–10–2020, दिनांक 01.05.2020 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 05.05.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा **लाकडाऊन अवधि में कोविड–19 वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के दृष्टिगत** उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों से **उत्तर प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों से आश्रयहीन व्यक्तियों, प्रवासी मजदूरों आदि को उनके गन्तव्य स्थान पर पहुँचाने में** हुये व्यय **रू0 16,12,40,509 / –(रूपये सोलह करोड़ बारह लाख चालीस हजार पॉच सौ नौ मात्र) के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।**

2– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या–140 मु.प्र. प्र.(संचा.) / कैम्प / 2020–कोविड–19, दिनांक 15.05.2020 में अवगत कराया गया है कि नवीन दरों के निर्धारण के फलस्वरूप दिनांक 28.03.2020 से दिनांक 30.04.2020 तक संचालित समस्त बसों के आधार पर निगम द्वारा 12461 बस दिवस संचालित किये गयें हैं, जिसकी कुल धनराशि जी0एस0टी0 सहित रू0 57,76,96,422 / – (रू0 सत्तावन करोड़ छिहत्तर लाख छियान्नबे हजार चार सौ बाईस मात्र) है तथा पूर्व में निगम को प्राप्त धनराशि रू0 16,12,40,509 / – (रू0 सोलह करोड़ बारह लाख चालीस हजार पाँच सौ नौ मात्र) समायोजित करने के उपरान्त वर्तमान में रू0 41,64,55,913 / – (रू0 इकतालीस करोड़ चौसठ लाख पचपन हजार नौ सौ तेरह मात्र) की अवशेष मांग की गयी है। उक्त मांग में बसों के आपातकालीन संचालनार्थ क्रू को आकस्मिक व्यय हेतु दिये गये रू0 3,49,000 / – तथा अन्य राज्यों की बसों को उ0प्र0 परिवहन निगम द्वारा दिये गये डीजल के सापेक्ष रू0 9,60,608 / – भी सम्मिलित है। **उपरोक्त स्थिति में निगम को रू0 41,64,55,913 / – (रू0 इकतालीस करोड़ चौसठ लाख पचपन हजार नौ सौ तेरह मात्र) की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।**

3– अतः इस सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के उक्त अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त **लाकडाऊन अवधि में कोविड–19 वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के दृष्टिगत** उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों से **उत्तर प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों से आश्रयहीन व्यक्तियों, प्रवासी मजदूरों आदि को उनके गन्तव्य स्थान पर पहुँचाने में** हुये व्यय **रू0 41,64,55,913 / – (रू0 इकतालीस करोड़ चौसठ लाख पचपन हजार नौ सौ तेरह मात्र) की धनराशि निगम को भुगतान हेतु** निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन **वित्तीय वर्ष 2020–21 में** राहत आयुक्त उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद / विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।

(2) सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, द्वारा वास्तविक उपयोग में लायी गयी बसों के बारे में सत्यापन सुनिश्चित करते हुए सत्यापन आख्या शासन को उपलब्ध करायेंगे।

(3) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(4) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2021 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2021 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत उक्त धनराशि के व्यय का विवरण निर्धारित प्रारूप पर राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0–2/1–11–2013–रा0–11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

(7) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369–एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0–42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

4– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–06–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–09–राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 230(1)/एक–10–2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
6. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
7. कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
8. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय गोयल)
सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
आवंटन दिनांक-19/05/2020

प्रेषण संख्या:- 230
आवंटन आदेश संख्या:- 030-33
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-4180-वरि0 वित्त एवं लेखाधिकारी- राहत आयुक्त सं0 , लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	416455913 837696422	416455913 837696422
	योग	वर्तमान प्रगामी	416455913 837696422	416455913 837696422

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया इक्तालीस करोड़ चौसठ लाख पचपन हजार नौ सौ तेरह
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तिरासी करोड़ छिहत्तर लाख छियानवे हजार चार सौ बाइस

(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन